II.परिवहन पक्ष

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2007

देश में मोटर यानों के विनियमन के लिए **मोटर यान अधिनियम, 1988** मुख्य कानून है। मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने से संबंधित इस विभाग के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा 1 मार्च, 2007 को अनुमोदन प्रदान किया गया था और 15 मई, 2007 को मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2007 राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान मे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति द्वारा इस विधेयक की जांच की जा रही है। स्थायी समिति ने दिनांक 18.07.2007 को सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) का इस विधेयक के बारे में मौखिक साक्ष्य लिया था।

इस विधयेक में निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य है:–

(1) सड़क सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर जहां आवश्यक हो, जुर्माने में वृद्धि करना।

(2) विद्यमान आपराधिक जवाबदेही के अतिरिक्त सिविल जुर्माने का प्रावधान करना। इस प्रकार से वसूल की गई जुर्माना राशि दुर्घटना पीड़ितो के प्रयोग में लाए जाने वाले मुआवजा कोष में क्रेडिट करने और व्यक्तियों में सिविल दायित्व की भावना पैदा करने संबंधी नया प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

(3) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को और अधिक शक्तियां प्रदान करना।

(4) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को उनके कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनाना।

(5) विसंगतियों को दूर करना और उभरती हुई नई आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के लिए प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना।

(6) सड़क दुर्घटना पीड़ितों को उपयुक्त मुआवजे के भुगतान से संबंधित प्रावधानों का युक्तिसंगत और सुगम बनाने के लिए प्रावधान करना और

(7) दुर्घटना पीड़ितों की परेशानियों को कम करने और मुआवजा दावों से संबंधित मामलों का तीव्रता से निपटान करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दावों का निपटारा करने के लिए प्रावधान करना।

राष्ट्रीय राजमार्ग – 4 पर धारवाड़ में टाल प्लाजा

वाहक अधिनियम, 1865 को निरस्त करना

माल अथवा संपत्ति का आवागमन देश के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा होता है। इस प्रकार माल के आवागमन से संबंधित कार्यकलापों की संपूर्ण श्रृंखला में विभिन्न प्लेयरों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस समय, सामान्य वाहक के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित कानून वाहक अधिनियम, 1865 में शामिल हैं। सामान्य वाहक को सौंपे गए माल को उनकी लापरवाही अथवा गलती के कारण होने वाली क्षति अथवा नुकसान के लिए उनकी सीमा और दायित्व को परिभाषित करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश वाहक अधिनियम, 1839 के आधार पर वाहक अधिनियम, 1865 बनाया गया था। इस अधिनियम को बनाते समय, वाहक अधिनियम में सभी प्रकार के कार्गों परिवहन अर्थात् रेल, सड़क और अंतर्देशीय नौवहन शामिल किए गए थे।

इस अधिनियम के अधिनियमन से लेकर अब तक कई परिवर्तन हो चुके हैं। सन् 1865 के बाद से अब तक सड़क परिवहन उद्योग में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं। बिचौलियों अथवा बुकिंग एजेंटों/दलालों का एक वर्ग उभर कर सामने आया है, जो सड़क द्वारा माल/संपत्ति के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाहक अधिनियम, 1865 में विनिर्दिष्ट मुआवजे के लिए देयता 100 रुपए है, जो वर्तमान मूल्य सूचकांक और परेषित माल के मूल्य की दृष्टि से बहुत अपर्याप्त है और जिसका अब कोई महत्व नहीं रह गया है। इस अधिनियम में सामान्य वाहक के पंजीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, इस अधिनियम में आज सड़क यातायात के द्वारा हो रहे उन्नत और जटिल परिवहन व्यापार की पूर्व कल्पना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, अब परिवहन के विभिन्न साधनों के लिए पृथक–पृथक अधिनियम हैं जैसे रेल द्वारा परिवहन का विनियमन रेल अधिनियम, 1989 से हो रहा है। इसी प्रकार, मल्टीमॉडल ट्रासंपोर्ट एक्ट, 1993 उस माल व संपत्ति के परिवहन को शासित करता है जो परिवहन के विभिन्न साधनों से होता है और विमान द्वारा होने वाले माल के परिवहन विमान द्वारा वहन अधिनियम, 1972 से शासित होता है। सड़क द्वारा व्यापार और परिवहन को आज की आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए वाहक अधिनियम, 1865 के कार्यक्षेत्र और अनुप्रयोग को आज पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता हो गई है।

उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए सड़क द्वारा वहन विधेयक को राज्य/केंद्रीय मंत्रालयों के साथ गहन परामर्श करके तैयार किया गया था। इस प्रकिया में ट्रांसपोर्टरों से भी परामर्श किया गया था। सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क द्वारा वहन विधेयक, 2005 को दिनांक 20.10.2005 को अनुमोदन प्रदान किया और तदनुसार, सड़क द्वारा वहन विधेयक, 2005 को राज्य सभा में दिनांक 7.12.2005 को पेश किया गया था। तथापि, इस विधेयक को जांच के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी विभाग से संबंद्ध संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया।

संसदीय स्थायी समिति ने इस विधेयक के मसौदे पर विचार किया और दिनांक 21.3.2006 को अपनी रिपोर्ट राज्य सभा में प्रस्तुत कर दी। स्थायी समिति ने इस विधेयक में अनेक परिवर्तनों की सिफारिश की थी जिनकी इस मंत्रालय मे गहन जांच की गई और कतिपय संशोधनों को विधेयक में शामिल करने का निर्णय किया गया। तदनुसार, इस संशोधित विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 19.4.2007 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया और सड़क द्वारा वहन विधेयक, 2007 को बाद में राज्य सभा और लोक सभा द्वारा क्रमशः दिनांक 7.9.2007 और 10.9.2007 को पारित कर दिया गया। सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007 बनाने के लिए इस विधेयक को शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा जो वाहक अधिनियम,

1865 का स्थान ले लेगा और यह सड़क परिवहन क्षेत्र पर लागू होगा।

सड़क द्वारा वहन विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैः–

- सामान्य वाहक का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन जिसमें सड़क पर मोटरीकृत परिवहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए माल के भाड़े हेतु माल वाहक द्वारा ढोये जाने वाले माल के संग्रहण, भंडारण, अग्रेषण अथवा वितरण के कार्य में लगे व्यक्ति शामिल होंगे। इसमें माल बुकिंग कंपनी, ठेकेदार, एजेंट, दलाल आदि भी शामिल होंगे।

- माल की क्षति अथवा नुकसान की स्थिति में माल के मूल्य, भाड़े और उसके स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस नियम के तहत सामान्य वाहक का दायित्व निर्धारित किया जाएगा।

- प्रत्येक प्रेषक को निर्धारित किए गए फार्म और स्वरूप में माल अग्रेषण नोट निष्पादित करना होगा जिसमें प्रेषित माल के मूल्य से संबंधित घोषणा शामिल करनी होगी। माल अग्रेषण नोट में खतरनाक और जोखिम माल के बारे में एक घोषणा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना सामान्य वाहक का कर्तव्य होगा कि ऐसे माल का बीमा किया गया है।

- सामान्य वाहक के लिए एकल रजिस्ट्रेशन होगा जो संपूर्ण देश में वैध होगा।

- इलेक्ट्रानिक विधि से पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- पंजीकरण प्राधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे 90 दिन की अवधि में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अथवा उसका नवीकरण जारी करें।

- मुख्य कार्यालय का पंजीकरण संपूर्ण देश में 10 वर्ष के लिए वैध होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र में शाखा कार्यालयों के ब्योरे दर्शाने होंगे।

- प्रेषित माल में दस्तावेज, माल अथवा वस्तुएं शामिल होंगी।

- सामान्य वाहक अधिक भार लदान के अपराध के लिए जिम्मेदार होगा तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194 के अनुसार उसे मोटर वाहनों के चालकों/मालिक के बराबर का दंड दिया जाएगा।

- सामान्य वाहक प्रेषक द्वारा कर चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

- सामान्य वाहक की चूक के कारण प्रेषित माल की क्षति अथवा सपुर्दगी न होने पर सामान्य वाहक द्वारा उच्चतर दायित्व स्वीकार करने में उच्चतर जोखिम दर के भुगतान पर प्रेषित माल के परिवहन के लिए प्रेषक और सामान्य वाहक के बीच समझौते की संभावना होगी।

- प्रेषित माल की डिलीवरी लेने में परेषिती की विफलता की स्थिति में सामान्य वाहक को प्रेषित माल की बिक्री करके देय राशि की वसूली और शेष धनराशि प्रेषक अथवा परेषिती को वापस करने के लिए अधिकृत किया गया है।

'सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन' से संबंधित एक समर्पित निकाय की स्थापना

भारत में तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनमें मरने वालों की संख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अवसंरचना समिति के निर्देशों के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ने तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री एस. सुंदर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति को दिनांक 23.11.2005 को 'सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित एक समर्पित निकाय की स्थापना' पर विचार करने और सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

इस समिति ने दिनांक 20.2.2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति की मुख्य सिफारिशों में भारत में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए संसद के एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष निकाय अर्थात राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड का गठन करना शामिल है। यह प्रस्ताव किया गया है कि इस बोर्ड में सड़क इंजीनियरी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरी, यातायात नियमों, चिकित्सा आदि क्षेत्रों से सदस्य/विशेषज्ञ लिए जाएंगे। प्रस्तावित बोर्ड के कार्य नियामक और परामर्शी होंगे। नियामक कार्यो में यह बोर्ड यांत्रिक रूप से चालित वाहनों के लिए मानक और डिजाइन निर्धारित करेगा। परामर्शी भूमिका में यह प्रस्ताव किया गया है कि यह बोर्ड सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सरकार को परामर्श देगा। यह बोर्ड सड़क सुरक्षा अनुसंधान, सड़क प्रयोक्ता व्यवहार रणनीति को बढ़ावा देगा तथा चिकित्सा और पुनर्वास आदि की स्थापना के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा। यह बोर्ड विभिन्न रणनीतियों को अपनाए जाने और उनके कार्यान्वयन पर भी निगरानी रखेगा। इस बोर्ड को सुधारात्मक उपायों के संबंध में निर्देश देने एवं सुरक्षा संपरीक्षा करने का भी अधिकार होगा।

देश में सड़क दुर्घटनाओं और मृतकों की संख्या पर काबू पाने के लिए सड़क सुरक्षा पर अखिल भारतीय स्तर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन से राज्यस्तरीय निकायों अर्थात् राज्य सड़क सुरक्षा बोर्डों का भी प्रस्ताव किया गया है। राज्य बोर्ड का कार्य सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों की सहायता करना और परामर्श देना, राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन कार्यों में समन्वय करना, राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के डिजाइन, निर्माण और प्रचालन के लिए न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट करना, अभिघात सुविधाओं की स्थापना और प्रचालन के लिए न्यूनतम मानक प्रदान करना, मानकों के अनुपालन पर निगरानी के लिए सुरक्षा संपरीक्षा करना, यांत्रिक रूप से चालित वाहनों से भिन्न वाहनों के डिजाइन और विनिर्माण के लिए न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट करना, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन आदि से संबंधित शिकायतों की जांच करना और उनके समाधान के उपायों की सिफारिश करना, आदि होंगे।

निधियों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस समिति ने सुझाव दिया है कि डीजल और पेट्रोल पर उपकर की कुल आय का1 प्रतिशत सड़क सुरक्षा कोष के लिए निर्धारित किया जाए। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में राज्य के कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य बोर्ड की सहायता का कुछ हिस्सा जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

इस समिति की रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई है। सचिवों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के विचार के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय को इस संबंध में सी. ओ. एस. नोट भेजने के लिए की कार्यवाही चल रही है।

जम्मू श्री नगर राजमार्ग

वह ड्राईवर

गाड़ी का ड्राईवर था वह पक्का
जो देखता रह जाता हक्का–बक्का
तजुरबा था लम्बे समय की ड्राइविंग का
पर उस दिन वह नहीं था किसी काम का

राजनेता की गाड़ी लेकर जाना था बहुत दूर
किसी को क्या पता कि समय बड़ा था क्रूर
चाह कर भी नही चला पा रहा था गाड़ी
राजनेता ने उसकी दबा रखी थी दुखती नाड़ी

"स्वयं चलाऊँगा" मैं ऐसा कह उसे बिठाया पास
गाड़ी की रफ्तार बढ़ी, पहुँची सौ के आस–पास
आते–जाते दोनों वाहन भिड़े वे, जो न थे अनाड़ी
नेता और ड्राईवर मरे, बंद हो गई उनकी नाड़ी

समाचार की मुख्य खबर थी, 'शहीद हो गया नेता'
क्या हो जाता ड्राईवर का भी नाम साथ में होता
भूल गए सब उस चालक को जो हो गया शहीद
याद रहेगा बहुत दिनों तक बस नेता अमर शहीद।

आर. पी. मिश्र
अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र)
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय,
मानचित्र प्रभाग,
वेस्ट ब्लॉक–1, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली–110066.

चेन्नै बाईपास पर पुल